प्रेस नोट थाना सदर बाजार
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य 09.05.2025

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा ई-रिक्शा चालक द्वारा वादी मुकदमा को ई -रिक्शा मे बैठाकर नशीला पदार्थ पिलाकर वादी के 500 रुपये नकद, 01 प्रेशर कूकर ,01 जोडी जूता, 01 बडा मोबाइल ले जाने की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को मय ई-रिक्शा व चोरी हुए सामान सहित किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण हेतु वांछित अभियुक्तों व वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई |

संक्षिप्त विवरण - :

दिनांक 11.03.2025 को थाना सदर बाजार पर वादी श्री अतुल कुमार पुत्र रामकिशन शर्मा निवासी ग्राम नवादा अशरफपुर पोस्ट महासिर थाना सिंधौली जिला शाहजहांपुर बस स्टेन्ड शाहजहाँपुर पर अपने घर जाने के लिये खडा था कि ई-रिक्शा चालक द्वारा श्री अतुल कुमार को अपनी ई-रिक्शा में बैठाया जिसमे पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद था दोनो ने श्री अतुल कुमार को नशीला पदार्थ पिलाकर उसको जेल रोड पर उतार दिया, जिससे उसके नशे मे हो जाने के उपरान्त उसका सामान 500 नकद, एक प्रेशर कूकर ,एक जोडी जूता,एक बडा मोबाइल ले जाने के संबध मे दिनाक 18.03.2025 को थाना स्थानीय पर तहरीर देकर मु0अ0स0 150/2025 धारा 123/303(2) बीएनएस बनाम दो अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री रणजीत बहादुर सिंह के द्वारा की जा रही है ।

आज दिनांक 09.05.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना कारित करने वाले प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.महिपाल यादव पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम ढकिया हमीदनगर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर 2. नाजिम पुत्र सदीक नि0ग्रा0 निखिरिया पाठक थाना पुवाया जिला शाहजहाँपुर मे से अभियुक्त **महिपाल यादव उपरोक्त** को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 04.33 बजे मछली मार्केट पुवांया रोड से करीब 50 मी0 पहले से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गये सामान मे से 01 अदद प्रेशर कुकर व घटना मे प्रयुक्त एक अदद ई-रिक्शा को अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया वादी मुकदमा को बरामदगी स्थल पर बुलाकर बरामद माल व अभियुक्त की शिनाख्त करायी गयी तो वादी ने माल व मुल्जिमान को देखते ही पहचान लिया। चोरी गये सामान की बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) BNS की बढोतरी की गयी व दुसरे अभियुक्त नाजिम उपरोक्त की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

महिपाल यादव पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम ढकिया हमीदनगर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 55 वर्ष

गिरफ्तारी स्थान व समय :-

दिनांक 09.05.2025 को समय करीब 04.33 बजे मछली मार्केट पुवांया रोड से करीब 50 मी0 पहले

बरामदगी:-

1. एक अदद प्रेशर कूकर जिस पर VIDEOCON अंकित है।
2. घटना मे प्रयुक्त एक अदद ई-रिक्शा

आपराधिक इतिहास महिपाल यादव:-

1. मु0अ0स0 409/2020 धारा 323/504 भादवि थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0 198/2021 धारा 401 भादवि थाना खुटार बाजार जिला शाहजहाँपुर
3. मु0अ0स0 150/2025 धारा (2)303/123/317(2) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार अरविन्द सिंह चौहान
2. उ0नि0 रणजीत बहादुर सिंह
3. का0 2070 मोनू कुमार
4. का0 2686 मनीष कुमार

गिरफ्तारी पूछताछ अभियुक्त :- अभियुक्त महिपाल यादव पुत्र छोटेलाल नि0ग्रा0 ढकिया हमीदनगर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर से दिनांक 11.03.2025 की घटना के वारे में पूछा तो बताया कि साहब मुझे तारीख ठीक से याद नही है होली से पहले की बात है , मैं व मेरा साथी नाजिम पुत्र सदीक निवासी ग्राम खिरिया पाठक थाना पुवाया जिला शाहजहाँपुर दोनो ने मिलकर इसी ई-रिक्शे पर रोडवेज के पास एक व्यक्ति को सवारी के रूप में बैठाये थे ,नाजिम उस व्यक्ति के पास पिछली सीट पर सवारी के रूप में बैठा था तथा मैं ई-रिक्शा चलाता था , उस व्यक्ति को बैठाकर चल दिये थे ,नाजिम ने उसे कोल्ड्रींक मे नशीला पदार्श मिला दिया तथा सवारी के रूप में बैठे व्यक्ति को ई-रिक्शा में ही पिला दिया था तथा ई-रिक्शा लेकर नगर निगम कार्यालय की तरफ चल दिये थे नगर निगम कार्यालय तक पहुचते पहुचते ई रिक्शा में बैठा व्यक्ति बेहोशी हालत में आ गया हम दोनो ने उसे जेल रोड पर उसका 100 नकद व एक प्रेशर कूकर, एक जोडी जूता,एक बडा मोबाइल चोरी कर उस व्यक्ति को वही उतार दिया था तथा सामान के बटवारे में नाजिम से मुझे 100 रूपये मिले थे जिसे मैं खर्च कर दिया, जो प्रेशर कूकर मिला था, आज भी इसी ई-रिक्शा की डिग्गी में पडा है, ई-रिक्शा की डिग्गी खोलकर देखा तो एक प्रेशर कूकर 05 ली0 जिसके डिब्बे पर अंग्रेजी में VIDEOCON अंकित है बरामद हुआ था आज भी किसी के शिकार में निकला था कि आपने पकड लिया और माफी मागंने लगा तथा अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय मे देना बताया।